

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(अभियन्त्रण अनुभाग)

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

/ ए-3 / 921

दिनांक

संख्या

कार्यालय आदेश

मा० परिषद को-225 वी बैठक दिनांक 14.08.2013 के मा० संख्या-225/8 पर परिषद द्वारा प्रस्तुत अनुमोदन के उपरान्त निम्नलिखित कार्य की प्रशा० एवं वित्तीय स्वीकृति एवं प्रदान की जाती है-

क्र०सं०	परियोजना योजना का नाम	परियोजना की लक्ष्य	लेखा शीर्षक
	आई.डी.नं.	(रु० लाख में)	एवं वित्त सं०

1-	044272	वृन्दावन यो.सं-4, लखनऊ के सेक्टर-18 में स्व वित्त पोषित बहुमजली आवासीय परि-2013 में प्रस्तावित "एवरेस्ट इन्क्लेव" में निम्नलिखित विभिन्न श्रेणी के फ्लैट्स (बी.+एस.+18/20 मंजिले) का निर्माण कार्य।	
		1- 3 बी०एच०के०+सर्वेन्ट / स्टडी - 216 नग	
		2- 4 बी०एच०के०+सर्वेन्ट / स्टडी - 216 नग	
		कुल 432 नग	28604.00
			26 / 172

- उक्त कार्य मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार कराया जायेगा।
- कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- प्रशासनिक स्वीकृति से लेकर मूल्यांकन, सम्पत्ति आवंटन एवं भौतिक कब्जा हस्तान्तरण की स्थिति तक उक्त प्रोजेक्ट आई०डी० नम्बर के साथ ही संदर्भित किये जायेंगे।
- निविदाओं का आमंत्रण पंजीकरण के आधार पर किया जाय।
- फ्लैटों का निर्माण एयर ट्रेफिक कन्ट्रोल, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अग्निशमन विभाग से अनामत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रारम्भ किया जाय।
- प्रदत्त वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत ही निर्माण कार्य पूर्ण करने का यथा सम्भव प्रयास किये जाय।
- निर्धारित समयावधि के अन्दर ही भवनों को पूर्ण कराते हुए आवंटियों को भवन हस्तगत करना सुनिश्चित किया जाय।
- गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय तथा थर्ड पार्टी से कराये जाने वाली जॉच (चेकिंग) की रिपोर्ट समय-समय पर उच्च अधिकारियों एवं बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाय।
- उक्त कार्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त 3 वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य प्रस्तावित है।
- कार्यों को पूर्ण कराने के लिए समय सारणी (बार-चार्ट) बनायी जाय।
- कार्यों की प्रगति की समयबद्धता को सुनिश्चित करने हेतु परिषद के उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर स्थल निरीक्षण कराते हुए समीक्षा की जाय।
- विस्तृत प्राक्कलन में ली गयी दरों को आधार न माना जाय। प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त कराते हुए कार्य कराया जाय।
- निविदा आदि की कार्यवाही के उपरान्त वास्तविक लागत के अनुसार व्यय की अनुमति अलग से प्राप्त करनी होगी।

(डी०के०त्यागी)

अधीक्षण अभियन्ता (प्र०)

पृ०सं०: 3376 / उक्त / 921

दिनांक: 5.9.2013

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निजी सचिव, आवास आयुक्त/अपर आवास आयुक्त एवं संचिव/मुख्य अभियन्ता, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर लखनऊ।
- वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- अधीक्षण अभियन्ता (प्रोजेक्ट)/तृतीय वृत्त उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता (मु०)/निर्माण खण्ड-13, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- मूल्यांकन/सम्परीक्षण अधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- गार्ड फाइल हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता (प्र०)